राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 452 / 2018.. जिला ....हनुमानगढ़...

उनवान : मैसर्स नवदुर्गा इण्डस्ट्रीज, संगरिया, हनुमानगढ़

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री के. एल. जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**	
04 / 05 / 2018	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन संख्या अ.प्रा. / बीका. / स्थगन / 17–18 / में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य मांग राशि रूपये 48,10,136 / – की वसूली कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2013–14 के दौरान मैसर्स बालाजी एन्टरप्राईजेज, संगरिया एवं मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्राईजेज, नोहर से क्रय की गई नरमा रूई बेल्स के पेटे चुकाये गये वेट की आई.टी.सी. रूपये 14,40,984 / – क्लेम की गयी, जबकि जांच में यह पाया गया कि उक्त विक्रेता व्यवहारी सीमेंट के व्यवसायी हैं तथा उनके पास केवल 100 वर्गफीट की दुकान है, इसके अतिरिक्त कोई गोदाम आदि भी प्रदर्शित नहीं किये गये हैं तथा उक्त व्यवहारियों द्वारा नरमा रूई बेल्स का व्यवसाय नहीं किया जाता है एवं ना ही उक्त व्यवहारियों से किये गये नरमा रूई बेल्स के संव्यवहारों को भौतिक रूप से प्रमाणित किया जा सका है, केवल बिलों का आदान–प्रदान किया गया है। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त व्यवहारियों द्वारा अपीलार्थी से वसूल किये गये कर को राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा विक्रेता व्यवहारियों को जो भुगतान अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से किया गया है, उसमें कमिशन काटकर सेल्फ के चैक से राशि पुनः बैंक से प्राप्त कर ली गयी है। उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.03.2018 पारित करते हुए क्लेम की गयी आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए, तदनुसार ब्याज एवं वेट अधिनियम की धारा **लगातार.............2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 452/2018.. जिला ....हनुमानगढ़..

उनवान : मैसर्स नवदुर्गा इण्डस्ट्रीज, संगरिया, हनुमानगढ़

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
04/05/2018	61(2)(ए) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए, धारा 38(4) के तहत सृजित राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया, जिसे अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2018 से अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 48,10,136/– की वसूली पर स्थगन प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक तथा राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने के पश्चात् कर व ब्याज के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी को कर राशि रूपये 14,40,984/– एवं ब्याज राशि रूपये 6,05,213/– जमा कराने की शर्त पर अवशेष शास्ति राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित अपील का तीन माह की अवधि में गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	